L. A. BILL No. XXIV OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २४ सन् २०२३।

महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करनेसंबंधी विधेयक ।

सन् २०१७ का महा. ४३।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में. अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, यह धारा तत्काल प्रवृत्त होगी, और शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ जैसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम, के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भण में किन्ही ऐसे उपबंधों में कोई निर्देश का अर्थ उस उपबंधों के प्रवर्तन के निर्देश के रुप में लगाया जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १० की,— सन् २०१७ का महा. ४३।

(क) उप-धारा (२), के खण्ड (घ) में, " वस्तु या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२क), के खण्ड (ग) में, " वस्तु या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १६ की , उप-धारा (२) के,—

(एक) द्वितीय परंतुक में, " उपसपर के ब्याज के साथा उसके इनपुट कर दायित्व को जोड़ना " शब्दों के स्थान में, " धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) तृतीय परंतुक में, " उसके द्वारा किया गया " शब्दों के पश्चात् " आपूर्तिकर्ता को" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १७ की,—

(क) उप-धारा (३) के, **स्पष्टीकरण** में, " उक्त अनुसूची के परिच्छेद ५ में जो विनिर्दिष्ट है को छोडकर " शब्दों और अंकों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) उक्त अनुसूची के परिच्छेद ५ में. विनिर्दिष्ट गतिविधियों या संव्यवहारों का मूल्य ; और

(दो) उक्त अनुसूची के परिच्छेद ८ के खण्ड (क) के संबंध में, जैसा कि विहित किया जा सके ऐसी गतिविधियों या संव्यवहारों के मूल्य को छोडकर । " ;

(ख) उप-धारा (५) के खण्ड (च) पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (चक) करादेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तु या सेवा या दोनों जिसका, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ में निर्देशित निगमित सामाजिक दायित्व के अधीन उसकी बाध्यता से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोगी है या उपयोग करने का आशयित है ; "। सन् २०१७ का १८।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २३ में संशाधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २३ की उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी और १ जुलाई, २०१७ से रखी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) धारा २२ या धारा २४ की उप-धारा (१) में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उल्लंघन में, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा जैसा उसमें विनिर्दिष्ट कर सके ऐसी शर्तो तथा निर्बंधनों के अध्यधीन व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त हो सके । "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३० में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३०., की, उप-धारा (१) में,—

(क) " रद्दकरण आदेश की तामिल करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहितरीत्या, " शब्दों के स्थान में, " जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन " शब्द रखे जायेगे ;

(ख) परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ।

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३७ में संशाधन।

" (५) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने पश्चात् किसी , कर किसी अवधि के लिए उप-धारा (१० के अधीन जावक आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुमति नहीं होगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त ब्यौरे प्रस्तुति के नियत दिनांक से तीन वर्षो की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी, उप-धारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक आपूर्ति की ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को अनुमति दी जायेगी । "।

८. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (१०) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३९ में संशोधन।

" (११) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने के पश्चात्, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करणे की अनुमति नहीं दी जायेगी :

पंरतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे देगी । "।

९. मूल अधिनियम की धारा ४४ उसकी, उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी :और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४४ में संशाधन।

" (२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अधीन कोई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उप-धारा (१) के अधीन एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी । "।

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ की, उप-धारा (१४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५२ में संशोधन।

" (१५) प्रचालक को, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात्, उप-धारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि अवसित होने के पश्चात् भी, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को, उप-धारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी। "।

११. मूल अधिनियम की धारा ५४ की, उप-धारा (६) में " इनपुट कर सारव की रकम का अपवर्जन अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे । सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५४ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, " उक्त उप-धारा के अधीन आवदेन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के अवसित होने के पश्चात्, सद्य दिनांक से ऐसे कर के प्रतिदाय के दिनांक तक" शब्दों के स्थान में, " ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों से परे विलंबित अवधि के लिए ऐसे कर के प्रतिदाय के दिनांक तक ऐसी रीत्या तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तो तथा निर्बंधनों के अध्यधीन संगणित करना " शब्द रखे जायेंगे । सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५६ में संशाधन।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ६२ में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ की उप-धारा (२) में,–

(क) " तीस दिनों " शब्दों के स्थान में, " साठ दिनों " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश के तामिल करने से साठ दिनों के भीतर वैध विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामिल करने के साठ दिनों से परे विलंबित प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त विलंबित फीस की अदायगी पर साठ दिनों की अधिकतर अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर सकेगा और वह ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर वैध विवरणी प्रस्तुत करता है के मामले में उक्त निर्धारण आदेश प्रत्याहत हुआ समझा जायेगा, परंतु, धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का भुगतान करने या धारा ४७ के अधीन विलंबित फीस का भुगतान करने का दायित्व बना रहेगा। " ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०९ में की प्रतिस्थापना।

१४. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जाएगी, —

अर्थात् :—

अपील अधिकरण और उसके न्यायपीठों का गठन।

" **१०९.** इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, केंद्रिय वस्तु और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित वस्तु और सेवा कर अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई के लिए अपील प्राधिकरण होगा। " ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११० और ११४ का अपमार्जन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ११० और ११४, अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११७ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा ११७ में, " राज्य न्याय पीठ या क्षेत्र न्यायपीठों " शब्द जहाँ कहीं वे आए हो के स्थान में, " राज्य न्यायपीठों " शब्द रखे जायेगें।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११८ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा ११८ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में, " राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठ शब्दों के स्थान में, " प्रधान न्यायपीठ " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११९ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ११९ में,—

(क) " राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठ" शब्दों के स्थान में " प्रधान न्यायपीठ" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " राज्य या क्षेत्र न्यायपीठ" शब्दों के स्थान में, " राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२२ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा १२२ की, उप धारा (१क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो,—

(एक) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने से छूटपात्र किसी व्यक्ति से अन्य किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसके जरिए वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए अनुमति देता है ;

(दो) एक व्यक्ति जो ऐसे अन्तर-राज्य आपूर्ति करने के लिए अपात्र नहीं है के द्वारा उसके जरिए किसी वस्तु या सेवा या दोनों की अन्तरराज्य आपूर्ति के लिए अनुमति देता है ; या

(तीन) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त किसी व्यक्ति के द्वारा उसके ज़रिए प्रभावित किसी वस्तु की जावक आपूर्ति धारा ५२ की, उप-धारा (४) के अधीन, प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण में सही ब्यौरा प्रस्तुत करने में असफल होता है तो,–

वह दस हजार रुपयों की शास्ति या धारा १० के अधीन कर संदाय करनेवाले व्यक्ति से अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति की गयी थी जिसमें कर की रकम के समतुल्य कोई रकम, जो भी उच्चत्तर है, की शास्ति अदा करने के लिए दायी होगा।"।

२०. मूल अधिनियम की धारा १३२, की उप-धारा (१) में,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३२ में संशोधन।

(क) खण्ड (छ), (ञ) और (ट) अपमार्जित किए जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ठ) में, "खण्ड (क) से (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान में, "खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खण्ड (तीन) में "कोई अन्य अपराध" शब्दों के स्थान में, "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध" शब्द कोष्ठक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(घ) खण्ड (चार) में "या खण्ड (छ) या खण्ड (ञ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अपमार्जित किए जायेंगे।

२१. मूल अधिनियम की धारा १३८ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१), के प्रथम परंतु में,–

(एक) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) व्यक्ति जो धारा १३२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ठ किन्ही अपराधों के संबंध में पहले कभी प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया है ;";

(दो) खण्ड (ख) अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (ग) वह व्यक्ति जो धारा १३२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त है ;";

(चार) खण्ड (ड़), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (२) में, "दस हजार रुपए या अंतर्विष्ट कर के पचास प्रतिशत, जो भी उच्चतर है, और तीस हजार से कम न होने वाली अधिकतम रकम या कर की ड़ेढ़ सौ प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर है " शब्दों के स्थान में, " अंतर्विष्ट कर के पच्चीस प्रतिशत और अंतर्विष्ट कर के सौ प्रतिशत से कम न होनेवाली अधिकतम रकम" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ में नई धारा १५८क का निवेशन।

२२. (१) मूल अधिनियम की धारा १५८ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थत् :—

करादेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकटन आधारित सहमति।

१५८क. (१) धारा १३३, १५२ और १५८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया निम्न ब्यौरा उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों पर, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या और ऐसी शर्तों के अध्यधीन सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसी अन्य प्रणाली से सामान्य पोर्टल द्वारा प्रकट कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ या धारा ३९ के अधीन या धारा ४४ के अधीन दाखिल विवरण में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ ;

(ख) बीजक की तैयारी के लिए सामान्य पोर्टल पर डाली गई विशिष्टियाँ, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक आपूर्ति के ब्यौरे और धारा ६८ के अधीन दस्तावेजों की निर्मिती के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ ;

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य जानकारी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जानकारी प्रकट करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) उप-धारा (१) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत की गई जानकारी के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ; और

(ख) प्राप्तकर्ता, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के संबंध में, और उप-धारा (१) के खण्ड, (ग) अधीन ऐसे ब्यौरे जहाँ केवल ऐसे ब्यौरे जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या में प्राप्त कर्ता की पहचान जानकारी सम्मिलित होगी ।

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रकट की गई जानकारी के परिणामतः उद्भूत कोई दायित्व के बाबत सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और सुसंगत आपूर्ति पर देय कर के दायित्व पर या सुसंगत विवरण के अनुसार देय कर के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की अनुसूची तीन में कतिपय गतिविधियों और संव्यवहार से भूतलक्षी छूट।

२३. (१) मूल अधिनियम की अनुसूची तीन के परिच्छेद ७ और ८ तथा उसका **स्पष्टीकरण** (देखिए सन् २०१८ का महा. अधिनियम क्रमांक ६७ की धारा ३१ में यथा निविष्ट) १ जुलाई २०१७ से उसमें निविष्ट किया गया है ऐसा समझा जायेगा ।

(२) सभी कर, जिसका संग्रहण किया गया है, परंतु जिसे उप-धारा (१) के सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त किया गया था इस प्रकार संग्रहित नहीं करना था, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का व्यक्तव्य।

वस्तु और सेवा कर विधियों में संशोधन की आवश्यकता होने के कारण वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अलग-अलग निर्णय लिए गए हैं। तद्नुसार, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १२) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १३) वित्त अधिनियम, २०२३ (सन् २०२३ का ८) द्वारा संसद द्वारा संशोधित किया गया है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के उपबंधों की एकरुपता और प्रयोज्यता बनाए रखने के उद्देश से, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर है।

२. उक्त अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) धारा १० की उप-धारा (२) का खण्ड (घ) और उप-धारा (२क) का खण्ड (ग) में संशोधन करना है ताकि प्रशमन उद्ग्रहण के अधीन संदेय कर के विकल्प से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकों के जरिए वस्तु की आपूर्ति में जुड़े रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर अधिरोपित निर्बंध हटाया जा सके।

(दो) धारा १६ की उप-धारा (२) के द्वितीय और तृतीय परंतुक, उक्त अधिनियम में उपबंधित विवरण दाखिल करने की प्रणाली के साथ उक्त उप-धारा सम्मिलित करने के लिए संशोधन करना।

(तीन) धारा १७ की,—

(क) उप-धारा (३) का **स्पष्टीकरण** संशोधित करना है ताकि उक्त अधिनियम की अनुसूची तीन के परिच्छेद ८ के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कतिपय संव्यवहारों के संबंध में इनपूट कर साख के लाभ उठाने के निर्बंध कर सके।

(ख) उप-धारा (५) में संशोधन करना है ताकि, यह उपबंध किया जा सके कि किसी करादेय व्यक्ति द्वारा जिसका कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ में निर्देशित निगमित सामाजिक दायित्वों के अधीन उसके आबन्धनों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग करता है या उपयोग करना आशायित है के द्वारा प्राप्त वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर साख प्राप्त नहीं होगा।

(चार) धारा २२ की उप-धारा (१) और धारा २४ पर के अध्यारोही प्रभाव के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध करने के लिए धारा २३ की उप-धारा (२) १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करना।

(पाँच) धारा ३० की, उप-धारा (१) मे संशोधन करना है, ताकि, सुसंगत नियमों के ज़रिए रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण के प्रतिसंहरण का आवेदन दाखिल करने के लिए समय-सीमा विहित करने रीति, शर्तों तथा निर्बंधनों के लिये समर्थकारी उपबंध उपबंधित किया जाए ताकि उपबंध में अधिक लचिलेपन का प्रावधान हो सकें।

(छह) धारा ३७ में नई उप-धारा (५) को निविष्ट करना है, ताकि तीन वर्षोंतक की समय-सीमा जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरण प्रस्तुत कर सकने के कर अवधि के लिए उक्त धारा की, उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत कर सके। परिषद की सिफारिशों पर, कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त समय-सीमा अधिसूचना द्वारा, विस्तारित करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने का अधिकतर आशय है।

(सात) धारा ३९ में, नई धारा (११) को निविष्ट करना है ताकि, तीन वर्षो तक की समय-सीमा, जिसमें कर अवधि के लिए विवरण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करनें के लिए उपबंध कर सके। परिषद के सिफारिश पर, कतिपय शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त समय-सीमा, अधिसूचना द्वारा विस्तारित करने के लिए सरकार को अधिकतर समर्थ बनाने का अधिक आशय है।

(आठ) धारा ४४ में, नई उप-धारा (२) का निवेशन करना है ताकि तीन वर्षों तक की समय-सीमा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त धारा की, उप-धारा (१) के अधीन उपबंध कर सके। परिषद की सिफारिश पर कतिपय शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त समय-सीमा अधिसूचना द्वारा विस्तारित करने के लिए सरकार को अधिकतर सक्षम बनाने का आशय है।

(नौं) धारा ५२ में, नई उप-धारा (१५) निविष्ट करना है ताकि तीन वर्ष तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके जिसमें एक महीने के लिए उक्त धारा की उप-धारा (४) के अधीन विवरण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। परिषद की सिफारिश पर, कतिपय शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग के लिए उक्त समय-सीमा, अधिसूचना द्वारा, विस्तारित करने के सरकार को अधिकतर समर्थ बनाने का आशय है।

(दस) अस्थायी रूप से स्वीकृत इनपुट कर साख से संदर्भ हटाकर धारा ५४ की, उप-धारा (६) में संशोधन करना है ताकि, उसे उक्त अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा (१) के अनुसार स्व-निर्धारित इनपुट कर साख का लाभ उठाने की विद्यमान योजना सम्मिलित कर सके।

(ग्यारह) धारा ५६ में, संशोधन करना है ताकि विलंबित प्रतिदायों पर व्याज परिकलन के लिए विलंबित अवधि के संगणना की रीति नियमों द्वारा उपबंधित की जाए।

(बारह) धारा ६२ में,—

(क) उप-धारा (१) के अधीन जारी निर्धारण आदेश का प्रत्याहरण का समर्थकारी समझने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरण दाखिल करने का समयावधि ३० दिनों से ६० दिनों के लिए बढ़ाने के लिए उप-धारा (२) में संशोधन करना।

(ख) उक्त धारा की, उप-धारा (१) के अधीन जारी निर्धारण आदेश का प्रत्याहरण समर्थकारी समझने के लिए इस विस्तारित अवधि के दौरान अतिरिक्त विलंबित फीस की अदायगी के साथ, उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि पूरा होने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उसका विवरण दाखिल करने के लिए ६० दिनों का अतिरिक्त समयावधि का उपबंध करने के लिए उक्त उप-धारा में परंतुक निविष्ट करना।

(तेरह) अपील अधिकरण और उसके न्यायपीठों के गठन का उपबंध करने के लिए धारा १०९ को प्रतिस्थापित करना।

(चौदह) धारा ११० और ११४ का अपमार्जन करना।

(पंद्रह) " राष्ट्रीय और क्षेत्रीय न्यायपीठों " शब्दों के स्थान में, " प्रधान न्यायपीठ " शब्द तथा " राज्य और क्षेत्र न्यायपीठों " शब्दों के स्थान में " राज्य न्यायपीठें " शब्दों की प्रतिस्थापना द्वारा अधिनियम में नामपद्धति सामंजस्य पूर्ण बनाने के लिए, धारा ११७, ११८ और ११९ में संशोधन करना ;

(सोलह) धारा १२२ में, नई धारा (१ख) को निविष्ट करना है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकों को अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या प्रशमन करदाता द्वारा उनके ज़रिए की गई वस्तु या सेवा की आपूर्ति से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकों को लागू शास्तिक उपबंधों के लिए उपबंध किया जा सके।

(सत्रह) धारा १३२ की, उप-धारा (१) में संशोधन करना है ताकि उक्त उप-धारा के खण्ड (छ), (ञ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों से अपराध मुक्ति की जा सके।

(अठारह) धारा १३८ में,—

(क) उप-धारा (१) के, प्रथम परंतुक में संशोधन करना है ताकि, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रशमन के विकल्प से वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना बीजक के जारी करने से संबंधित अपराधों में अंतर्विष्ट व्यक्ति को अपवर्जित किया जा सके।

(ख) उप-धारा (२) में संशोधन करना है ताकि प्रशमन करने के लिए न्यूनतम साथ ही साथ अधिकतम रक़म को घटाकर विभिन्न अपराधों के प्रशमन करने के लिए रकम का पुनर्गठन किया जा सके।

(उन्नीस) नई धारा १५८ क को निविष्ट करना है ताकि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसे अन्य प्रणाली के साथ सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण या उसका विवरण दाखिल करने या जावक आपूर्तियों की उसकी जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक बीजक की निर्मिति के लिए या इ-मार्ग बिल या नियमों द्वारा जैसा कि उपबंधित किया जाए कोई अन्य ब्यौरे की निर्मिति के लिए उसके द्वारा गए अन्य ब्यौरों में प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रकट करने की रीति और शर्तों के लिए उपबंध किया जा सके।

(बीस) उक्त अनुसूची के परिच्छेद ७ और ८ तथा **स्पष्टीकरण** २ को १ जुलाई २०१७ से भूतलक्ष्मी रूपसे प्रयोज्यता देने के लिए अनुसूची तीन में संशोधन करना।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १८ जुलाई, २०२३।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(शा.म.मु.) एचबी-९४०-२ (९६-७-२०२३)

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

खण्ड १(२).—— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम की शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ, जैसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त करने और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २३ की, उप-धारा (२) में संशोधन करना है, जिसमें राज्य सरकार को, उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन व्यक्तियों को जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त हो सकेगा के प्रवर्ग, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६.—— इस खण्ड के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा ३० की उप-धारा (१) में संशोधन करना है, जिसका आशय, जिसमें राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की रीति, समय और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के लिए उपबंध करने के लिए नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ३७ में उप-धारा (५) को जोड़ना है, जिसमें राज्य सरकार को, परिषद की सिफारिश पर, कतिपय शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए अधिसूचना द्वारा, समय-सीमा विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ३९ में नई उप-धारा (११) को निविष्ट करना है, जिसमें राज्य सरकार को, परिषद की सिफारिश पर, कतिपय शर्तो तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, अधिसूचना द्वारा, समय-सीमा विस्तारित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ९.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ४४ में नई उप-धारा (२) को निविष्ट करना आशयित है, जिसमें राज्य सरकार को, परिषद की सिफारिश पर, कतिपय शर्तो तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए समय-सीमा अधिसूचना द्वारा विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १०.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ५२ में, नई उप-धारा (१५) को निविष्ट करना है, जिसमें राज्य सरकार को, परिषद की सिफारिश पर, कतिपय शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए समय-सीमा अधिसूचना द्वारा विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १२.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ५६ में संशोधन करना है, जिसमें राज्य सरकार को, विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज के परिकलन के लिए विलंबित अवधि की परिगणना की रीति नियमों द्वारा उपबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २२.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम में नई धारा १५८ क को निविष्ट करना है, जिसमें राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसे अन्य प्रणाली के साथ सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करने या उसका विवरण दाखिल करने या जावक आपूर्तियों की उसकी जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक बीजक की निर्मिति के लिए या इ-मार्ग बिल या नियमों द्वारा जैसा कि उपबंधित किया जाए, कोई अन्य ब्यौरे की निर्मिति के लिए उसके द्वारा अपलोड किये गए अन्य ब्यौरे में प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रकट करने की रीती और शर्ते नियमों द्वारा उपबंधित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन २०१७ का महा. ४३) में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक में, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर राज्य के समेकित निधि से आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्विष्ट होने संबंधी कोई उपबंध नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२३ ई. पर पुर:स्थापना करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवनः
मुंबई,
दिनांकित १८ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा ।